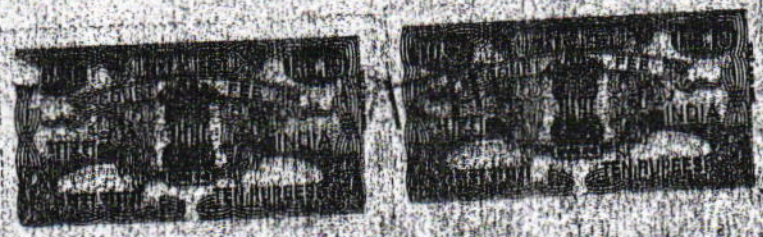

(3)

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 पुनरावलोकन

श्री .... द्वारा आज दि. .... प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वा.

1. लक्ष्मण पुत्र श्री अकाली तेली
2. फूलमतिया पुत्री स्व0 श्री अकाली तेली पत्नी श्री गयाधीन तेली निवासीगण–ग्राम मझियारी तहसील नागौद जिला सतना, म0प्र0
3. मरी पुत्री स्व0 श्री अकाली तेली पत्नी श्री रामाश्रय तेली, निवासी– ग्राम खेमरिया तहसील रघुराज नगर, जिला सतना, म0प्र0
4. सम्पत पुत्री स्व0 श्री अकाली तेली पत्नी स्व0 श्री महति तेली निवासिनी– ग्राम शिवराजपुर, तहसील नागौद, जिला सतना, म0प्र0

—आवेदकगण

बनाम

1. श्रीमती छोटी पत्नी श्री राममिलन तेली

2. राममिलन तेली पुत्र स्व0 श्री अकाली तेली निवासीगण– ग्राम मझियारी तहसील नागौद जिला सतना, म0प्र0 ––अनावेदकगण

पुनरावलोकन (रिव्यू) आवेदन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी 1/12/2015 पारित द्वारा श्री आशीष श्रीवास्तव सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 1436–चार/08 निगरानी व उनवान श्रीमती छोटी आदि बनाम लक्ष्मण आदि।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरावलोकन आवेदन–पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

पुनराविलोकन के आधार

1. यहकि, माननीय इस न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में सहवन कुछ ऐसी भूले हुई है जो अभिलेख से दर्शित प्रत्यक्षदर्शी भूले है, जिनके आधार पर विवादित आक्षेपित आदेश को पुरावलोकन में लिया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित एवं आवश्यक है।

2. यहकि, प्रकरण की प्रश्नाधीन भूमि 1.38 एकड़ स्व0 अकाली की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं थी उक्त प्रश्नाधीन भूमि पुश्तैनी सम्पत्ति थी इस कारण स्व0 अकाली को उक्त प्रश्नाधीन भूमि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 4084–दो/15 जिला –सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं आदि के हस्ताक्षर
3.9.16	आवेदक की ओर से श्री एस0 के0 श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1436–चार/08 में पारित आदेश दिनांक 01.12.15 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 4084–दो/15 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1436–चार/08 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 01.12.15 से किया जा चुका है। 4–रिव्यु प्र0क0 4084–दो/15 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही	3.9.16

आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ–नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

13.9.16

(के0 सी0 जैन)
सदस्य